राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी लोक अदालत केम्प कोर्ट–देसूरी

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 113/2016
दायरा तिथि : 11.04.2016
निर्णय तिथि : 27.05.2017

वादीः–
नेनाराम पुत्र कुपारामजी
जाति सिरवी निवासी देसूरी
तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. टेकाराम पुत्र गमनारामजी
2. भेराराम पुत्र हेमाराम
3. वजाराम पुत्र हेमाराम
4. मोहनलाल पुत्र मगाराम
5. मनाराम पुत्र गेनाराम
6. डायाराम पुत्र कुपाजी
7. मदनलाल गोद पुत्र भानारामजी
8. भानाराम पुत्र हकारामजी
9. नेनूबाई पत्नि मदनलालजी
10. वरजू पत्नि हीरारामजी
11. मोडाराम पुत्र धनारामजी
12. अशोक पुत्र धनारामजी
13. पूनाराम पुत्र जेठारामजी
14. नगाराम पुत्र जेठारामजी
15. नेनाराम पुत्र जेठारामजी
16. पकिया पुत्र पेमारामजी
17. डावरीया पुत्र पेमारामजी
18. कसीया पुत्र मूलारामजी
19. चेला पुत्र मूलारामजी
20. हीरा पुत्र मूलारामजी
21. देवी पत्नि भीकाजी
22. दीपाराम पुत्र भीकाजी
23. खीमाराम पुत्र भीकाजी
24. चुन्नीलाल पुत्र वेलाजी
25. घीसाराम पुत्र वेलाजी

पेज लगातार—–2

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

पेज संख्या–2 पर.....

राजस्व वाद संख्या 113/2016 अनवान नेनाराम बनाम टेकाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

26. लच्छाराम पुत्र वेलाजी
27. तुलसीबाई पत्नि वेलाजी
28. कन्या पुत्री वेलाजी
    जातिगण सिरवी, निवासीगण देसूरी तहसील बाली
29. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)

दिनांक : 27.05.2017

: निर्णय :

दावा बाबत 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार, शिविर देसूरी मे पेश हुई। पक्षकारान् को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुये जो शामिल मिसल किये गये। वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 19, 24, 25 उपस्थित। उपस्थित पक्षकारो को सुना गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया प्रकरण का निस्तारण उपलब्ध रिकार्ड के अनुरूप मेरीट पर निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत है।

उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात सरहद मौजा देसूरी के खसरा संख्या 182, 183, 184, 185 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 कुल खसरा 15 कुल रकबा 3.00 हैक्टर किस्म चा.प्र., जा.अ. के अधिकार अभिलेखो मे दर्ज हिस्सा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 28 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का देसूरी को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारो के मध्य रेकर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे। विभाजन मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट मे रखी भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा संख्या, रकबा, किस्म भूमि, लगान ईत्यादि दर्शाते हुये तथा आवागमन के लिये रास्ता की उपलब्धता रखते हुये मय नजरी नक्शा मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुये रिपोर्ट पेश की जावे। विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर प्रकरण मे नियमानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **27.05.2017** को मजमा–ए–आम मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(राजेश मीणा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
दिनांक 27.05.2017

क्रमांक/कैम्प कोर्ट/2017/
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थ :–
1. तहसीलदार, देसूरी
2. पटवारी हल्का, देसूरी

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
कैम्प–देसूरी

प्रपत्र 5

मूल वाद में प्राथमिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) देसूरी

पीठासीन अधिकारी :– **श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.**

वादी:–

नेनाराम पुत्र कुपारामजी
जाति सिरवी निवासी देसूरी
तहसील देसूरी, जिला–पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. टेकाराम पुत्र गमनारामजी
2. भेराराम पुत्र हेमाराम
3. वजाराम पुत्र हेमाराम
4. मोहनलाल पुत्र मगाराम
5. मनाराम पुत्र गेनाराम
6. डायाराम पुत्र कुपाजी
7. मदनलाल गोद पुत्र भानारामजी
8. भानाराम पुत्र हकारामजी
9. नेनूबाई पत्नि मदनलालजी
10. वरजू पत्नि हीरारामजी
11. मोडाराम पुत्र धनारामजी
12. अशोक पुत्र धनारामजी
13. पूनाराम पुत्र जेठारामजी
14. नगाराम पुत्र जेठारामजी
15. नेनाराम पुत्र जेठारामजी
16. पकिया पुत्र पेमारामजी
17. डावरीया पुत्र पेमारामजी
18. कसीया पुत्र मूलारामजी
19. चेला पुत्र मूलारामजी
20. हीरा पुत्र मूलारामजी
21. देवी पत्नि भीकाजी
22. दीपाराम पुत्र भीकाजी
23. खीमाराम पुत्र भीकाजी
24. चुन्नीलाल पुत्र वेलाजी
25. घीसाराम पुत्र वेलाजी
26. लच्छाराम पुत्र वेलाजी
27. तुलसीबाई पत्नि वेलाजी
28. कन्या पुत्री वेलाजी
    जातिगण सिरवी, निवासीगण देसूरी तहसील बाली
29. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राज्य सरकार की ओर से)

पेज लगातार––2

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (बाली)

पज सख्या–2 पर......

दावा बाबत **53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**
मुकदमा नम्बर :– **113/2016**
निर्णय दिनांक :– **27.05.2017**

वादी की ओर से **वादी स्वयं** व प्रतिवादी की ओर से **प्रतिवादीगण संख्या–3, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 19, 24, 25** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **27.05.2017** को (नाम पीठासीन अधिकारी) **राजेश मेवाडा आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

सरहद मौजा देसूरी के खसरा संख्या 182, 183, 184, 185 186, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 कुल खसरा 15 कुल रकबा 3.00 हैक्टर किस्म चा.प्र., जा.अ. के अधिकार अभिलेखो मे दर्ज हिस्सा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 28 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की जाती है। प्राथमिक डिक्री आदेश की प्रति तहसीलदार देसूरी व पटवारी हल्का देसूरी को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारो के मध्य रेकर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन कर विभाजन रिपोर्ट न्यायालय मे पेश करे। विभाजन मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट मे रखी भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा यथा खसरा संख्या, रकबा, किस्म भूमि, लगान ईत्यादि दर्शाते हुये तथा आवागमन के लिये रास्ता की उपलब्धता रखते हुये मय नजरी नक्शा मे प्रत्येक पक्ष के हिस्से बंट की भूमि को पृथक–पृथक रंगो से दर्शाते हुये रिपोर्ट पेश की जावे। विभाजन रिपोर्ट प्राप्त होने पर पृथक से ईजराय पत्रावली कायम कर प्रकरण मे नियमानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक **27.05.2017** को मजमा–ए–आम मे सुनाया गया।

(राजेश मेवाडा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, देसूरी
केम्प–देसूरी